



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर धोखाधड़ी तथा दस्तावेजों की जालसाजी व अपमिश्रण कर नकली शराब बनाने/बेचने वाले 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 1,72000/-रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 02/2017 धारा- 272,273,419,420,467,468,255 भा०द०सं० एवं 60(2) आबकारी अधिनियम एवं 63/68 कॉपीराइट अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. दुर्गा पुत्र बलवान सिंह (हिस्ट्रीशीटर) 2. बलवान पुत्र पंचा निवासीगण ग्राम मसीदन थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 1,72,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० कम्बोद
सिंह



पैरोकार- थाना जलालपुर
हे०का० मनोज